

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मांग संख्या 42
पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	3125.37	5.68	3131.05	3657.42	46.71	3704.13	2991.59	16.30	3007.89	3555.59	44.39	3599.98	
<i>वसूलियां</i>	-63.97	...	-63.97	
<i>प्राप्तियां</i>	-354.76	...	-354.76	-415.00	...	-415.00	-361.50	...	-361.50	-498.00	...	-498.00	
निवल	2706.64	5.68	2712.32	3242.42	46.71	3289.13	2630.09	16.30	2646.39	3057.59	44.39	3101.98	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	स्थापना व्यय	39.05	...	39.05	52.33	...	52.33	42.60	...	42.60	48.20	...	48.20
1.02	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	1.74	...	1.74	3.80	...	3.80	2.40	...	2.40	3.80	...	3.80
<i>जोड़- सचिवालय</i>													
		40.79	...	40.79	56.13	...	56.13	45.00	...	45.00	52.00	...	52.00
2.	पशु स्वास्थ्य संस्थान	17.82	0.15	17.97	22.35	1.65	24.00	16.94	1.06	18.00	21.17	1.33	22.50
3.	लघु पशुधन संस्थान	42.71	3.18	45.89	43.33	6.67	50.00	38.70	0.30	39.00	44.83	1.17	46.00
4.	नस्ल सुधार संस्थान	38.96	2.14	41.10	40.14	3.86	44.00	33.45	2.94	36.39	40.55	0.89	41.44
5.	राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	1.34	...	1.34	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय													
		141.62	5.47	147.09	164.95	12.18	177.13	136.09	4.30	140.39	158.55	3.39	161.94
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
6.	खुरपका और मुंहपका रोग (एफ एम डी) और ब्रुसल्लोसिस के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	811.02	...	811.02	1300.00	...	1300.00	858.00	...	858.00
7.	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1470.00	...	1470.00
8.	अवसंरचना विकास निधि	283.00	...	283.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
		811.02	...	811.02	1300.00	...	1300.00	858.00	...	858.00	1753.00	...	1753.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
सांविधिक और विनियामक निकाय													
9.	पशु कल्याण बोर्ड	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00	8.49	...	8.49
10.	पशु (सीपीसीएसईए) पर प्रयोगों के नियंत्रण और निगरानी के उद्देश्य हेतु समिति	1.51	...	1.51

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00
अन्य												
11. दिल्ली दुग्ध योजना												
11.01 डीएमएस के व्यय	377.34	0.21	377.55	380.47	34.53	415.00	349.50	12.00	361.50	457.00	41.00	498.00
11.02 घटाइए- प्राप्तियां	-354.76	...	-354.76	-415.00	...	-415.00	-361.50	...	-361.50	-498.00	...	-498.00
<i>निवल</i>	<i>22.58</i>	<i>0.21</i>	<i>22.79</i>	<i>-34.53</i>	<i>34.53</i>	<i>...</i>	<i>-12.00</i>	<i>12.00</i>	<i>...</i>	<i>-41.00</i>	<i>41.00</i>	<i>...</i>
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	28.58	0.21	28.79	-27.53	34.53	7.00	-6.00	12.00	6.00	-31.00	41.00	10.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
12. राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना												
12.01 राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम	255.00	...	255.00
12.02 राष्ट्रीय गोकुल मिशन	502.04	...	502.04
12.03 पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	70.00	...	70.00
12.04 राष्ट्रीय पशुधन मिशन	350.00	...	350.00
<i>जोड़- राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>1177.04</i>	<i>...</i>	<i>1177.04</i>
श्वेत क्रांति												
13. राष्ट्रीय डेयरी योजना-II	0.01	...	0.01
14. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	266.31	...	266.31	300.00	...	300.00	286.00	...	286.00
15. डेयरी उद्यमशीलता विकास	250.00	...	250.00	0.02	...	0.02
16. राष्ट्रीय गोकुल मिशन	269.94	...	269.94	310.00	...	310.00	400.00	...	400.00
17. डेयरी क्रियाकलापों में लगी सहकारिताओं तथा कृषक उत्पादक संगठनों को सहायता देना	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
18. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि	34.59	...	34.59	60.00	...	60.00	10.00	...	10.00
19. सहकारिताओं के जरिये डेयरी (ईएपी)	0.01	...	0.01
20. पशुधन जनगणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	126.01	...	126.01	100.00	...	100.00	94.00	...	94.00
21. पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण	340.85	...	340.85	438.00	...	438.00	250.00	...	250.00
22. राष्ट्रीय पशुधन मिशन	401.69	...	401.69	370.00	...	370.00	425.00	...	425.00
23. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	126.96	...	126.96	77.00	...	77.00
जोड़-श्वेत क्रांति	1789.39	...	1789.39	1805.00	...	1805.00	1642.00	...	1642.00
24. वास्तविक वसूली	-63.97	...	-63.97
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	1725.42	...	1725.42	1805.00	...	1805.00	1642.00	...	1642.00	1177.04	...	1177.04
कुल जोड़	2706.64	5.68	2712.32	3242.42	46.71	3289.13	2630.09	16.30	2646.39	3057.59	44.39	3101.98
ख. विकास शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. पशु पालन	1339.81	...	1339.81	1816.28	...	1816.28	1464.31	...	1464.31	1850.35	...	1850.35
2. डेयरी विकास	631.92	...	631.92	354.50	...	354.50	344.00	...	344.00	343.00	...	343.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	40.77	...	40.77	56.13	...	56.13	45.00	...	45.00	52.00	...	52.00
4. पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	...	5.47	5.47	...	12.18	12.18	...	4.30	4.30	...	3.39	3.39
5. डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	...	0.21	0.21	...	34.53	34.53	...	12.00	12.00	...	41.00	41.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2012.50	5.68	2018.18	2226.91	46.71	2273.62	1853.31	16.30	1869.61	2245.35	44.39	2289.74
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	310.66	...	310.66	312.41	...	312.41	293.66	...	293.66
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	693.49	...	693.49	630.88	...	630.88	425.29	...	425.29	388.05	...	388.05
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.65	...	0.65	73.97	...	73.97	39.08	...	39.08	130.53	...	130.53
जोड़-अन्य	694.14	...	694.14	1015.51	...	1015.51	776.78	...	776.78	812.24	...	812.24
कुल जोड़	2706.64	5.68	2712.32	3242.42	46.71	3289.13	2630.09	16.30	2646.39	3057.59	44.39	3101.98

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए है। इसमें पीएमओ (डीएमएस) नई दिल्ली और पीएओ एचडीएंडएफ मुंबई के स्थापना व्यय का प्रावधान भी शामिल है।

2. **पशु स्वास्थ्य संस्थान:** यह प्रावधान पशु संरोग सेवा केंद्रों और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान आदि के लिए है।

3. **लघु पशुधन संस्थान:** यह प्रावधान केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, क्षेत्रीय चारा केंद्र और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म के लिए है।

4. **नस्ल सुधार संस्थान:** यह प्रावधान केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना और केंद्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए है।

5. **राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान:** यह प्रावधान स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

7. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और पैर और मुंह रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक एकल योजना में मिला दिया गया है जिसका नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम रखा है। इस योजना में विभिन्न टीकाकरणों, कौशल विकास तथा पशुचिकित्सा आवश्यकताओं के सृजन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके धारणीय पशुधन स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकारों की गतिविधियों को सम्पूरित करने के लिए निधियां रखी जाती हैं। इस प्रावधान में व्यावसायिक दक्षता विकास के हिस्से के रूप में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के लिए अनुदान शामिल हैं।

8. **अवसंरचना विकास निधि:** पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एचआईडीएफ) और डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ) को एक ही फंड में मिला दिया गया है। डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन को समर्थन देने की योजना भी इसमें

शामिल है। यह योजना नावार्ड के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण और द्रुतशीतन अवसंरचना और दूध में मिलावट परीक्षण उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से लागू की जाने वाली एक व्याज सबवेंशन योजना है। बजट प्रावधान राज्य सहकारी दुग्ध संघ की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए भी है (राज्य सहकारी दुग्ध संघ के लिए पूर्ववर्ती सहायता)।

9. **पशु कल्याण बोर्ड:** यह प्रावधान पशु कल्याण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है।

10. **पशु (सीपीसीएसईए) पर प्रयोगों के नियंत्रण और निगरानी के उद्देश्य हेतु समिति:** यह प्रावधान कार्यालय के स्थापना व्यय और योजना के कार्यान्वयन के लिए है। यह कार्यालय पशु अधिनियम 1960 (1960 का 59) के क्रूरता की रोकथाम के अनुसार स्थापित किया गया था और पशुपालन और डेयरी विभाग को आवंटित किया गया था। पहले इस प्रावधान को एनआईएडब्ल्यू के बजट के साथ जोड़ा गया था।

11. **दिल्ली दुग्ध योजना:** यह प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे प्रारंभ में सरकार द्वारा व्यवस्था किया जाता है और बाद में दूध और घी आदि की बिक्री से प्राप्त राजस्व से पूरा किया जाता है।

12. **राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना:** श्वेत क्रांति के विभिन्न घटक के पुनर्विलोकन और पुनर्व्यवस्थित करने के बाद श्वेत क्रांति योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना (आरपीवीवाई) कर दिया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ii) डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, iii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन और iv) पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण आरपीवीवाई के घटक हैं।

12.01. **राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान अनुमोदित परियोजनाओं हेतु विभिन्न दुग्ध संघों/राज्य दुग्ध परिसंघों को निधियां जारी करने के लिए है।

12.02. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन, देसी नस्ल तथा राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन नामक नई योजना के अंतर्गत आबंटनों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक साथ मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा समेकित तरीके से देसी नस्लों का संरक्षण तथा विकास करना है।

12.03. **पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान पशुधन जनगणना योजना के लिए है जिसमें 20वीं पशुधन जनगणना, 2017 की तैयारी का कार्य शुरू किया गया है और उस एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के लिए है जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराए गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पाद अर्थात् दूध, अंडा, मांस और ऊन आदि अनुमानित हैं।

12.04. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** यह प्रावधान पशुधन सेक्टर, विशेषरूप से पशु, जुगाली करने वाले पशुओं तथा अन्य छोटे पशुधन के धारणीय विकास के उद्देश्य से संबंधित योजना के लिए है।